UPBS010037912026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–1 बस्ती।
पीठासीन अधिकारी– कमलेश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6048
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या –––––– 1160/2026
रोहित निषाद ––––––बनाम–––––– सरकार उ०प्र०।

अपराध सं०–146/2026
धारा– 274 भा०दं०सं० 60/63 आ०अधि०
थाना– छावनी, जिला बस्ती।

दिनांक 14–07–2026

श्री महेन्द्र कुमार दूबे, एडवोकेट ––––आवेदक/अभियुक्त की तरफ से
श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० –अभियोजन पक्ष की तरफ से

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा –482 बी०एन०एस०एस०, आवेदक/अभियुक्त रोहित निषाद पुत्र रामचरन, ग्राम बाघानाला थाना छावनी जिला बस्ती की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा थाना प्रभारी राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना छावनी जिला बस्ती द्वारा तहरीर/फर्द तैयार कराकर थाना छावनी में प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 01.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक छावनी मय हमराह कां० आलोक भार्गव, कां० सौरभ सिंह, रि०कां० दीपेश तिवारी, रि०म०का० काजल विश्वकर्मा मय सरकारी वाहन सं० –यू०पी०–51G/0365 चालक हे0 का0 राजाराम यादव के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग, रोकथाम अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण में प्रस्थान कर विक्रमजोत में व्यस्त था कि चौकी प्रभारी विक्रमजोत उ 0 नि0 श्री सभाजीत मिश्रा मय हमराह हे0 का0 रविप्रताप सिंह, का0 अमन यादव, रि0 का0 अभिषेक शुक्ला, रि०का० हरिनारायण पाण्डेय के मय सरकारी वाहन मोबाइल 2 के आकर मिले। सभी लोग मिलकर आपस में अवैध कच्ची शराब बनाने वाले के संबंध में वार्ता करते समय मुखबिर खास की सूचना पर वादी स्वयं प्रभारी निरीक्षक थाना से जरिये दूरभाष फोर्स मगाया गया। उ 0 नि0 श्री शोभा यादव, हे0 का0 फयानाथ भास्कर, हे0 का0 संदीप कुमार, हे0 का0 शैलेष कुमार, हे0 का0 दिनेश कुमार, का0 अजय कुमार, का0 करमजीत यादव, का0 धनवन्त गुप्ता, का0 चन्द्रकेश प्रजापति, का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा, रि0 का0 अमित कुमार, रि0 का0 अमरेन्द्र सिंह, रि०म०का० ममता देवी, का0 शिल्लू जायसवाल आये। सभी कर्मचारीगण को मुखबिर खास की सूचना पर सीतारामपुर मांझा के करीब पहुँचा तो मुखबिरखास इशारा करके हट गया, पुलिसकर्मी मुखबिर के बताये हुए स्थान पर जहाँ पर अवैध मदिरा का निष्कर्षण सरयू नदी के तट पर धधक रही भट्ठी के पास पहुँच ही रहा था कि मदिरा बनाने वाले हम पुलिस वालों को देखकर अपनी अपनी भट्ठियाँ छोड़कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया लेकिन मांझा क्षेत्र की झाड़ी झंखड़ आदि

Digitally signed by Kamlesh Kumar
Date: 2026.07.15 16:16:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

होने के कारण अभियुक्तगण भागने में सफल रहे, उनमें बीट आरक्षी अमन यादव, हे0 का0 रवि प्रताप सिंह, उ0नि0 शोभा यादव द्वारा बताये जाने पर अभियुक्तगण मारकण्डेय पुत्र शिवजगत निषाद, झारखण्डेय पुत्र शिवजगत, सूरज पुत्र रामलौट, रमेश पुत्र सितऊ, संजय पुत्र हजारी, अरुण पुत्र रामलखन, रवि निषाद पुत्र शेषराम उर्फ लम्बू,भावन पुत्र संकरी, रोहित निषाद पुत्र रामचरन व गोलई पुत्र रामचरन तथा अन्य कुछ अज्ञात लोग थे, जिन्हें सामने आने पर पहचान लेंगे तत्पश्चात जहां पर नदी के किनारे कच्ची शराब की भट्ठियाँ जल रही थी, दो भट्ठियों में आग जल रही थी शेष में आग नहीं जल रही थी। **भट्ठियों के पास एक काले रंग की पालीथीन में एक किलो नौसादर, काले रंग के पालीथिन में 5 किलो यूरिया व कच्ची शराब बनाने के उपकरण, 5 अदद टीन के ड्रम दो–दो सौ लीटर के जिसमें नलकी लगी हुई व 06 प्लास्टिक के पीले रंग के 20–20 लीटर के डिब्बे में बनी हुई कच्ची शराब कुल 120 लीटर बरामद हुई** तथा जल रही भट्ठियों के बगल में **एक अदद मोटर साइकिल अपाची वाहन सं० UP 51 AQ 2672 बरामद** हुई, ई–चालान एप से देखा गया तो उक्त वाहन शिवजगत पुत्र गुज्जु ग्राम छितौना पोस्ट शंकरपुर थाना छावनी जनपद बस्ती के नाम से प्रदर्शित कर रहा है, जो भागे हुए अभियुक्त मारकण्डे, झारखण्डे के पिता के नाम से है को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया तथा बगल में ही नदी के किनारे भारी मात्रा में लगभग 220 कुंतल लहन मिला। मौके पर मौजूद लहन में से बतौर नमूना एक लीटर प्लास्टिक के बोतल में भरकर ढक्कन बन्द कर सील सर्व मोहर नमूना मोहर तैयार किया गया। उक्त मिले लहन को काफी मात्रा में होने के कारण मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और भट्ठियों को भी नष्ट किया गया। बरामदगी की कार्यवाही नियमानुसार की गयी। दौरान बरामदगी की विडियो ग्राफी का० सौरभ सिंह द्वारा अपने मोबाइल से समय करीब 18.20 बजे की गयी। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात मौके से बरामद शुदा 06 पीले रंग के 20–20 लीटर, के प्लास्टिक के डिब्बे में कुल 120 लीटर अवैध अप मिश्रित कच्ची शराब में से प्रत्येक डिब्बे में से एक–एक लीटर प्लास्टिक के बोतल में बतौर नमूना अप मिश्रित कच्ची शराब को निकाल गया तथा 06 अदद पीले रंग के प्लास्टिक के डिब्बों में 19–19 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब का व 06 अदद 1–1 लीटर प्लास्टिक के बोतल में निकाले गये बतौर नमूना अपमिश्रित कच्ची शराब का ढक्कन बन्द कर कपड़े से बांध कर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार तथा बरामद शुदा यूरिया खाद में से बतौर नमूना **एक पालीथिन में 200 ग्राम निकाला गया व 1 किलो नौसादर में से बतौर नमूना 100 ग्राम एक पालीथिन** में अलग निकाला गया प्रत्येक पालीथिन को एक–एक सफेद कपड़े में रखकर बांध कर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। भागे हुए अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60, 63 EX ACT व 274 BNS का दण्डनीय अपराध है। बरामद शुदा सम्पूर्ण माल व उपकरण का एक फर्द बरामदगी तैयार किया गया। जिस पर सर्व संबंधित के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा मांझा क्षेत्र होने के कारण वहां पर जनता का कोई गवाह नहीं मिला। फर्द बरामदगी उ0नि0 सभाजीत मिश्रा से उनके द्वारा बोल–बोल कर लिखवाया गया। बरामद शुदा सम्पूर्ण माल बरामदगी स्थल से थाना स्थानीय पर लाने एक ट्रैक्टर ट्रली पर नियमानुसार लदवाकर थाना स्थानीय पर लाया गया। फर्द बरामदगी पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर बनवा कर थाना छावनी में प्रस्तुत किया गया है

जिसके आधार पर थाना छावनी द्वारा मामला अभियोग अ०स० 146/2026 पंजीकृत किया गया।

3. जरिये जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि आवेदक / अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रयागराज में विचाराधीन नही है, न ही दाखिल है, और न ही निर्णीत ही हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी सोच विचार कर विलम्ब से पंजीकृत कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में थाना छावनी की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए बराबर दविश दे रही है। प्रकरण धारा 438(6) Cr P C की परिधि से बाहर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक मौके से पकड़ा नही गया है न ही आवेदक के पास से कोई बरामदगी की गयी है। आवेदक का घर घटना स्थल से आठ किलोमीटर की दूरी पर है। बीट पुलिसकर्मियों द्वारा पहचानने का कथन किया गया है, जबकि पुलिसकर्मी आवेदक के गांव के क्षेत्र की बीट के नहीं हैं। घटना स्थल पर 26 पुलिसकर्मियों के रहते किसी अभियुक्त को न पकड़ पाना घटना को संदिग्ध बनाता है। मौके पर पर कोइ जनता का गवाह नहीं है। प्रार्थी से मफरूर होने का अंदेशा नही है, पुलिस को विवेचना में सहयोग हेतु हमेशा उपस्थित रहेगा। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। उपर्युक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का तीव्र विरोध किया गया है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी०एन०एस० एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 482 बी०एन०एस०एस० यह प्रावधानित करती है कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है , उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाये, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये अर्थात् :

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक के पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बावत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है:

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता; और

(4) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अन्तरिम आदेश देगा ।

7. अग्रिम जमानत के मामले में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता एक प्रमुख घटक है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहकर्मियों के साथ मिल कर ग्राम सीतारामपुर मांझा में अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण किया जा रहा था तथा मौके से उपकरण के साथ 220 कुंटल लहन, यूरिया, नौशादर व बीस–बीस लीटर की छः पीपिया बरामद हुई। उक्त अपायकर अपमिश्रित विक्रय हेतु तैयार किया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात साल से कम की सजा से दंडनीय है। मौके से किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही आवेदक के पास से कोई बरामदगी की गयी है। मौके पर जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। अतः मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितयेां को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में बिना गुणदोष पर विचार किये मैं अभियुक्त/आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूँ। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक रोहित निषाद की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50000/–का निजी बन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत किये जाने निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

1. अभियुक्त/आवेदक न्यायालय में दौरान विचारण प्रत्येक नियत दिनांक को उपस्थित रहेगें।

2. अभियुक्तगण /आवेदक अग्रिम जमानत पर अवमुक्त होने के पश्चात अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगें न ही साक्षियों पर दबाव डालेगें।

3. आवेदक/अभियुक्त को विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अवश्य उपस्थित होगा।

दिनांकः 14.07.2026

(कमलेश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1 बस्ती।